न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/360** दायर दिनांक **15.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बंशीलाल पुत्र श्री चुनाराम, उम्र–65साल, जाति–मेघवाल, निवासी–खाटू खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जालाराम पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी चूई तहसील डेगाना हाल निवासी खाटू खुर्द 2. ग्यारसी पत्नी श्री आशाराम जाति बावरी निवासी खाटू खुर्द। 3. दयाराम पुत्र श्री गुलाराम 4. श्री किशन पुत्र काना 5. ओम प्रकाश पुत्र काना 6. मिश्री लाल पुत्र श्री काना 7. भवंरलाल पुत्र श्री बस्तीराम 8. हडमान पुत्र श्री गंगाराम 9. प्रेम प्रकाश पुत्र श्री गिरधारी लाल 10. बजरंगलाल पुत्र श्री गिरधारी लाल 11. सुरेश कुमार पुत्र श्री गिरधारी लाल 12. आन्नद स्वरूप पुत्र श्री गिरधारी लाल 13. जशोदा पत्नी श्री गिरधारी लाल समस्त जाति रेगर निवासीगण खाटू खुर्द। 14. हडमान पुत्र श्री झुमर 15. रामकिशोर पुत्र श्री घीसाराम 16. रामोतार पुत्र श्री घीसाराम 17. रामीदेवी पत्नी श्री घीसाराम समस्त जाति लखारा निवासीगण खाटू खुर्द तहसील डीडवाना। 18. श्रीमान तहसीलदार महोदय डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरण सिंह बोहरा , अधिवक्ता, वादी की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 360
दायर दिनांक 15.12.2017, प्राथमिक निर्णय दिनांक 29.12.2017
बंशीलाल बनाम्, जालाराम वगैरा।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **29.12.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वाकै शरहद खाटू खुर्द के वर्तमान खसरा नम्बर 1395 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा बारानी प्रथम अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादी एवम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 खातेदार व काबिज काश्तकार है। वादी के अतिरिक्त प्रतिवादी सं0 1व 2 खरीद सुदा भूमि में काबिज है।

वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की भूमि है जो राजकीय रिकॉर्ड में शामलाती दर्ज है।वादी व प्रतिवादीगण अलग – अलग काबिज काश्तकार दर्ज है एवंम मौखिक बंट के अनुसार सिंवे–निंवे कायम है। आज–कल ऋण आदी लेने व अन्य प्रयोंजनों में भूमि शामिल होने से बडी कठिनाई होती है काश्त के मौसम में पक्षकारान् को काश्त करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है तथा खेताय की अलग–अलग हिस्सों की अलग–अलग प्रकार से कीमतों में बढोतरी को देखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 द्वारा विधिवत् बन्टवारा नहीं करवाकर उक्त खेताय की जमीन को बेचाण करने बाबत् धमकाने से वादी द्वारा खेताय की खतौनी नकल देखने से वादी को मालुम हुआ कि सभी खेताय संयुक्त खातेदारी में बिना हक हिस्से की घोषणा के चले आ रहे हैं। वादी पक्ष के लिए यह वाद वास्ते हक हिस्से की घोषणा करवाने व उसी अनुसार अमल दरामद करवाने व बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा करवाने का वाद पेश करना लाजमी होने से यह वाद पेश है।

वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1395 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा में से उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ 11 बिघा भूमि जिनमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 , खेत खसरा नम्बर 1395 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा में से उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ 11 बिघा भूमि जिनमें प्रतिवादी सं0 01 जालाराम के हिस्से में 02 बिस्वा तथा प्रतिवादी सं0 02 ग्यारसी के हिस्से में 05 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार है तथा शेष भूमि पश्चिमी दक्षिणी हिस्से की जिनमें 53 बीघा 08 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 03 ता 17 की रहेगी। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 तक द्वारा विधिवत् बन्टवारा नहीं करवाकर के उक्त खेताय की जमीन को बेचाण करने की वादी पक्ष को एक माह पहले इस बाबत् रोका जाना भी आवश्यक व न्यायसंगत है जिस हेतु वादी पक्ष का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण हक हिस्सेनुसार घोषणा खातेदारी, तदनुसार रेकर्ड दुरस्ती व बाई मीट्स व बाउण्ड्स से बन्टवारा के साथ स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद पेश किया जा रहा है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/360
दायर दिनांक 15.12.2017, प्राथमिक निर्णय दिनांक 29.12.2017
बंशीलाल बनाम, जालाराम वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 18 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01ता 18 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद खाटू खुर्द के विवादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 तक सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा संख्या 1395 रकबा 64.08 बीघा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 तक के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–360–2017/रीडर/2017/33 दिनांक 3/1/18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. बंशीलाल पुत्र श्री चुनाराम, उम्र–65साल, जाति–मेघवाल, निवासी–खाटू खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जालाराम पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी चूई तहसील डेगाना हाल निवासी खाटू खुर्द वगैराह। 2. तहसीलदार महोदय डीडवाना।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट दिनांक 29.01.2018 तक भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017 / 360** दायर दिनांक **15.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बंशीलाल पुत्र श्री चुनाराम, उम्र–65साल, जाति–मेघवाल, निवासी–खाटू खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जालाराम पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी चूई तहसील डेगाना हाल निवासी खाटू खुर्द 2. ग्यारसी पत्नी श्री आशाराम जाति बावरी निवासी खाटू खुर्द। 3. दयाराम पुत्र श्री गुलाराम 4. श्री किशन पुत्र काना 5. ओम प्रकाश पुत्र काना 6. मिश्री लाल पुत्र श्री काना 7. भवंरलाल पुत्र श्री बस्तीराम 8. हडमान पुत्र श्री गंगाराम 9. प्रेम प्रकाश पुत्र श्री गिरधारी लाल 10. बजरंगलाल पुत्र श्री गिरधारीलाल 11. सुरेश कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल 12. आन्नद स्वरूप पुत्र श्री गिरधारीलाल 13. जशोदा पत्नी श्री गिरधारी लाल समस्त जाति रेगर निवासीगण खाटू खुर्द। 14. हडमान पुत्र श्री झुमर 15. रामकिशोर पुत्र श्री घीसाराम 16. रामोतार पुत्र श्री घीसाराम 17. रामीदेवी पत्नी श्री घीसाराम समस्त जाति लखारा निवासीगण खाटू खुर्द तहसील डीडवाना। 18. तहसीलदार महोदय डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरण सिंह बोहरा , अधिवक्ता, वादी की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/360
दायर दिनांक 15.12.2017, निर्णय दिनांक 24.01.2018
बंशीलाल बनाम्, जालाराम वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 24.01.2018

वाकै शरहद खाटू खुर्द के वर्तमान खसरा नम्बर 1395 रकबा 64 बीघा 08 बिस्वा बारानी प्रथम के घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वादी का वाद दिंनाक 29.12.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमाक 77 दिंनाक 17.01.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्ताावित किया । तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन पर उभयपक्ष सहमत है तथा इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गई। बन्टवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकरान सहमत है। अतः तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अंतिम डिकी सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा संख्या 1395 रकबा 64.08 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिंनाक 17.01.2018 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकरान को स्वतंत्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
वइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **360/2017** दायर दिनाँक **15.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बंशीलाल पुत्र श्री चुनाराम, उम्र–65साल, जाति–मेघवाल, निवासी–खाटू खुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जालाराम पुत्र बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी चूई तहसील डेगाना हाल निवासी खाटू खुर्द 2. ग्यारसी पत्नी श्री आशाराम जाति बावरी निवासी खाटू खुर्द। 3. दयाराम पुत्र श्री गुलाराम 4. श्री किशन पुत्र काना 5. ओम प्रकाश पुत्र काना 6. मिश्री लाल पुत्र श्री काना 7. भवंरलाल पुत्र श्री बस्तीराम 8. हडमान पुत्र श्री गंगाराम 9. प्रेम प्रकाश पुत्र श्री गिरधारी लाल 10. बजरंगलाल पुत्र श्री गिरधारीलाल 11. सुरेश कुमार पुत्र श्री गिरधारीलाल 12. आन्नद स्वरूप पुत्र श्री गिरधारीलाल 13. जशोदा पत्नी श्री गिरधारी लाल समस्त जाति रेगर निवासीगण खाटू खुर्द। 14. हडमान पुत्र श्री झुमर 15. रामकिशोर पुत्र श्री घीसाराम 16. रामोतार पुत्र श्री घीसाराम 17. रामीदेवी पत्नी श्री घीसाराम समस्त जाति लखारा निवासीगण खाटू खुर्द तहसील डीडवाना। 18. तहसीलदार महोदय डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **24.01.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा संख्या 1395 रकबा 64.08 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिंनाक 17.01.2018 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकरान को स्वतंत्र खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.01.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner